

प्रेषक,

अनूप मिश्र,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 3 मार्च, 2009

**विषय :-** पदोन्नति पर मूल नियम 22-बी के अंतर्गत वेतन निर्धारण के लिए तिथि के लिए विकल्प।

महोदय,

वित्त  
(सामान्य)  
अनुभाग-2

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पदोन्नति पर वेतन निर्धारण की सुस्पष्ट व्यवस्था वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 के मूल नियम 22-बी(1) के अंतर्गत है। उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या जी 2-854/दस-333-86, दिनांक 17 सितम्बर, 1988 में यह स्पष्ट व्यवस्था की गयी है कि पदोन्नति पर संबंधित सरकारी सेवक का वेतन प्रोन्नति की तिथि को उक्त मूल नियम 22-बी (1) के अनुसार निर्धारित किया जाय। इसके अतिरिक्त सरकारी सेवक द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर प्रोन्नति की तिथि को मूल नियम 22-ए(1) में निर्धारित प्रक्रियानुसार एवं निम्न पद की वेतनवृद्धि की तिथि को मूल नियम 22-बी(1) के अंतर्गत पुनर्निर्धारित किये जाने की भी व्यवस्था है। दिनांक 1 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना प्रभावी किए जाने तथा उसमें वेतन निर्धारण

- |  |   |
|--|---|
| 1-वे०आ०-2-1314/दस-59(एम)-2008, दि० 08 दिसम्बर, 2008    | किये जाने विषयक पार्श्वकित शासनादेश जारी किए गए हैं। तदनुसार समस्त सरकारी सेवक की वेतन वृद्धि तिथि दिनांक 1 जुलाई रखी गयी है। पुनरीक्षित वेतन संरचना की व्यवस्था लागू |
| 2-वे०आ०-2-1315/दस-59(एम)-2008, दि० 08 दिसम्बर, 2008    |   |
| 3-वे०आ०-2-1318/दस-59(एम)-2008, दि० 08 दिसम्बर, 2008    |   |
| 4-वे०आ०-1-1775/दस 2008-42(एम)-08, दि० 08 दिसम्बर, 2008 |   |
| 5-वे०आ०-2-1327/दस-59(एम)-2008, दि० 11 दिसम्बर, 2008    |   |
| 6-वे०आ०-2-1371/दस-59(एम)-2008, दि० 2 जनवरी, 2009       |   |

होने के फलस्वरूप किसी सरकारी सेवक की पदोन्नति अथवा ए०सी०पी० की व्यवस्था के अनुसार वित्तीय स्तरान्तरण होने पर संबंधित सरकारी सेवक को वित्तीय नियम 23(1) के अंतर्गत यह विकल्प होगा कि वह पदोन्नति की तिथि अथवा अगली वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण करवा सकता है। पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :-

(1) यदि संबंधित सरकारी सेवक पदोन्नति पर निम्न पद की वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है तो पदोन्नति की तिथि को वेतन बैंड में वेतन अपरिवर्तित रहेगा, किन्तु उच्च पद का ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। अगली वेतनवृद्धि की तिथि अर्थात् 01 जुलाई को वेतन पुनर्निर्धारित होगा। इस तिथि को संबंधित सेवक को दो वेतनवृद्धियाँ, एक वार्षिक वेतन वृद्धि तथा दूसरी पदोन्नति के फलस्वरूप देय होगी। इन दोनों वेतनवृद्धियों की गणना हेतु पदोन्नति की तिथि के पूर्व का मूल वेतन लिया जायेगा। उदाहरण स्वरूप, यदि पदोन्नति के पूर्व तिथि को मूल वेतन रु० 100.00 था, तो प्रथम वेतनवृद्धि रु० 100.00 पर तथा द्वितीय वेतनवृद्धि की गणना रु० 103.00 पर की जायेगी।

(2) यदि सरकारी सेवक पदोन्नति की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है तो उस सरकारी सेवक का वेतन शासनादेश संख्या वे०आ० 1318/दस-59(एम)-2008, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-1 के उप प्रस्तर-11 में निहित प्रक्रियानुसार निर्धारित किया जायेगा। यदि सरकारी सेवक की पदोन्नति दिनांक 02 जुलाई से 01 जनवरी तक हुयी है तो उसे अगली वेतन वृद्धि अनुवर्ती 01 जुलाई को देय होगी।

उदाहरण—किसी सरकारी सेवक की पदोन्नति यदि 02 जुलाई, 2006 से 01 जनवरी, 2007 तक हुयी है, तो उसे अगली वेतन वृद्धि 01 जुलाई, 2007 को देय होगी। यदि पदोन्नति किसी वर्ष में 02 जनवरी से 30 जून तक हुयी है तो उसे अगली वेतनवृद्धि अगले वर्ष की पहली जुलाई को देय होगी।

उदाहरण—किसी सरकारी सेवक की पदोन्नति यदि 02 जनवरी, 2006 से 30 जून, 2006 तक हुयी है, तो उसे अगली वेतन वृद्धि 01 जुलाई, 2007 को देय होगी।

2—उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश संख्या जी-2-854/दस-333-86, दिनांक 17 सितम्बर, 1988 को उक्त सीमा तक संशोधित रामझा जाये।

3—मूल नियम में संशोधन पृथक से यथासमय किया जायेगा।

भवदीय,  
अनूप मिश्र,  
प्रमुख सचिव।

पुष्पांकन संख्या—जी-2-212(1)/दस-2009-333-86, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- 1—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 2—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय), लखनऊ।
- 3—राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
- 4—विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय।
- 5—वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 एवं 2 (10-10 प्रतियाँ)।
- 6—गार्डबुक।

आज्ञा से,  
बी० एन० दीक्षित,  
सचिव।